कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर जिला इन्दौर (म0प्र0)

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2019–20/1314 सांवेर, दिनांक :–9/1/2020

।। रिक्त संरचनाओ को मासिक किराये पर आवंटन हेतु निलामी सूचना ।।

कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर के द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण, एवं उपमंडी प्रांगण चन्द्रावतीगंज में रिक्त संरचनाओ को जहाँ है, जैसी स्थिति मे मासिक किरायें पर आवंटित करने हेतु निलामी बोली दि.5-2-2020 को समय दोपहर 01:00 बजे मुख्य मंडी प्रांगण कार्यालय, सांवेर में आयोजित की गई है, निलामी से संबंधित जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक अनिवार्य शर्तो का अवलोकन कार्यलयीन समय मे अवकाश दिवसों को छोड़कर दिनांक 4-2-2020 तक कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर मे किया जा सकता है । उक्त जिन संरचनाओ को अनुज्ञप्ति पर आवंटन किया जाना है, उनका विवरण निम्नानुसार है : –

क्र.	रिक्त संरचनाओं का नाम एवं स्थल	रिक्त संरचनाओं संख्या	क्षेत्रफल (प्रतिवर्ग मीटर) प्रति संरचना	न्यूनतम मासिक किराया प्रति संरचना	प्रति संरचना की **ऑफसेट वेल्यू** (रू. में)	निलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली **अग्रिम धन राशि** (रू. में) प्रति सरचना
1	2	3	4	5	6	7
1	200मे.टन क्षमता गोदाम मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	03	126.04	8030/-	1427496/-	142750/-
2	500मे.टन क्षमता गोदाम मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	01	315.84	12522/-	2226115/-	222612/-
3	शॉपकम गोदाम मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	05	21.30	759/-	134911/-	13491/-
4	सेन्ड्री शाप मुख्य मंडी प्रागंण सांवेर	20	21.30	790/-	140498/-	14050/-
5	ऑफिसकम गोदाम उपमंडी प्रागंण चन्द्रावतीगंज	01	108.00	2358/-	419126/-	41913/-
6	200मे.टन क्षमता गोदाम उपमंडी प्रागंण चन्द्रावतीगंज	01	126.04	3419/-	607880/-	60788/-

शर्ते–

(1) उपरोक्तानुसार संरचनाओ को 05 वर्ष की कालावधि के लिए मासिक किराये पर मंडी समिति, सांवेर के अनुज्ञप्तिधारी पात्र व्यापारियो/फर्म को म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम मई 2009 के प्रावधानानुसार किया जायेगा । सरल कमांक 4 को छोड़कर दिनांक 4-2-2020 तक की स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म को ही निलामी प्रक्रिया मे भाग लेने दिया जायेगा। उक्त दिनांक के पश्चात के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म भाग नही ले सकेगे।

C:\Users\HCL\Desktop\VIGYAPTI SUCHNA 1.docx

कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

(2) उपरोक्तानुसार संरचनाओ को मासिक किराये पर आवंटन हेतु निलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक मंडी समिति, सांवेर के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म एवं व्यक्तियों को अग्रिम धन के रूप में उनके सम्मुख दर्शित राशि कॉलम क्रमांक 7 के अनुसार नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप मे सचिव कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर के नाम से देय हो, निलामी बोली के एक दिन पूर्व दिनांक ५-२-२०२०तक कार्यालय मे जमा करनी होगी।

(3) किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को एक से अधिक संरचना आवंटित नही की जावेगी, जिस अनुज्ञप्तिधारी के पास पूर्व से संरचना आवंटित है वह निलाम प्रक्रिया मे भाग नही ले सकेगा।

(4) उच्चतम बोली लगाने वाले अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म/व्यक्ति को मंडी समिति द्वारा उसकी बोली स्वीकृति की लिखित सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर किराये की बोली की अधिकतम राशि के आधार पर एक वर्ष का किराया अग्रिम के रूप मे जमा कराना अनिवार्य होगा। इस राशि मे आवेदन के साथ जमा अग्रिम धन की राशि भी समायोजित की जा सकेगी। उक्त संरचनाओ के आवंटन हेतु उनके सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 मे दर्शित निर्धारित मासिक किराया ही न्यूनतम शासकीय बोली रहेगी, इस न्यूनतम मासिक किराये से ऊंची बोली ही मान्य की जावेगी ।

(5) शासन के नियमानुसार आवंटित संरचना पर नियमानुसार लगने वाले समस्त करों को चुकाने को दायित्व किरायेदार का होगा ।

(6) सरंचना को किराये पर आवंटन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि पुर्ण होने के पश्चात किराये की दरों मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी एवं वार्षिक किराया विलम्ब से जमा करने पर 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिभार उदगृहित किया जावेगा ।

(7) उपरोक्तानुसार संरचनओ की कुल संख्या का 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के अनुज्ञप्तिधारियों हेतु आरक्षित है, जो कि, निम्नानुसार है, मुख्य मण्डी प्रांगण सांवेर मे सेण्ड्रीशाप कमांक 5 एवं कमांक 15 आरक्षित है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति शर्त क्रमांक 2 का पालन करते हुए आवेदन के साथ संलग्न जमा करना अनिवार्य होगा।

(8) यदि आरक्षित संरचनाओ के आवंटन के लिये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई अनुज्ञप्तिधारी आगे नहीं आता है तो इन संरचनाओ को अनारक्षित माना जायेगा तथा तदनुसार तत्समय ही उनका निपटारा (निलाम) किया जायेगा।

(9) मंडी समिति द्वारा संरचना आवंटन के संबंध मे लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी रहेगा एवं मंडी समिति कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगी।

C:\Users\HCL\Desktop\VIGYAPTI SUCHNA 1.docx

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

(10) विस्तृत शर्ते कार्यालयीय समय एवं दिवस मे कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर मे अवकाश दिवस छोडकर देखी जा सकती है।

(11) नीलाम की बोली रू. 10/– के गुणांक में ही स्वीकार की जावेंगी।

(12) नीलामी में भाग लेने हेतु मण्डी के अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न की जाना आवश्यक है।

(13) उक्त रिक्त संरचनाओं के आवंटन की सूचना के संबंध मे निविदा विज्ञप्ति सूचना एवं विस्तृत जानकारी एवं शर्ते मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

(लक्ष्मीनारायण पाटीदार)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

(रविश श्रीवास्तव)
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति, सांवेर
जिला–इन्दौर (म. प्र.)

Scanned by CamScanner